उत्तर प्रदेश शासन

युवा कल्याण अनुभाग

संख्या-1419/पचास-यु0क0-2015-33(विविध)/2015

लखनऊः दिनांक 03 सितम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

सिविल अपील संख्या-2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में, पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27-04-2012, का कार्यकारी अंश **(Operative Portion)** निम्नवत हैः-

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7)of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter the dictum in M.Nagaraj (Supra). Any Promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of Section-3(7) and rule-8A shall remain undisturbed"

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27-04-2012 के अनुपालन के सन्दर्भ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित अवमानना याचिका सिविल संख्या-214/2013 अमर कुमार व अन्य बनाम जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20-8-2015 को पारित आदेश, का कार्यकारी अंश**(Operative Portion)** निम्नवत हैः-

"It is submitted by Mr. Ravi Prakash Mehrotra, learned Counsel for the State of U.P. that the Judgment passed in Uttar Pradesh Power Corporation Limited vs. Rajesh Kumar and

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Others (2012) 7 SCC.1, Shall be complied with in letter and spirit within three weeks hence and the officers, who are to be reverted shall be reverted and they shall not be given any Kind of additional charge. The Chief secretary of the State of Uttar Pradesh shall file an affidavit by 15 September, 2015, stating that the same has been done, failing which this court may be compelled to direct his personal appearance. No further adjournment or extension of time shall be granted on that score.

Be it added, the High Court shall not entertain any Kind of petition with regard to the controversy that is covered in the decision rendered in Uttar Pradesh Power Corporation Limited (Supra) or even Linked with it.

The Registrar (Judicial) is directed to send a copy of this order to the Registrar General of the High Court of Allahabad, to be placed before the learned Chief Justice so that he can do the needful in the matter.

List the matters on 15Th September, 2015"

3- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के समादर में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002 टीसी-1का-2/2015, दिनांक 21 अगस्त, 2015 के प्रस्तर-6(क) में पदोन्नति में आरक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं 15-11-1997 के बाद प्रोन्नत कार्मियों के संबंध मंे

-3-

निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

''उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991(यथासंशोधित) के नियम-8(क)का लाभ देकर जिन कार्मिकों को पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाये। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08-05-2012 एवं 13-05-2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनांक15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8क का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाये।''

4- कार्मिक विभाग के सन्दर्भित शासनादेश में लिए गए निर्णय के अनुसार, युवा कल्याण विभाग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15-11-1997 के पश्चात, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद से सहायक समादेष्टा (परिवर्तित पदनाम सहायक निदेशक-सह-समादेष्टा) के पद पर, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति/प्रोन्नति संख्या-1942/पचास-यु0 क0-2002-5पी. वी. डी./2001 दिनांक 28 अगस्त, 2002 द्वारा पदोन्नत श्री रविकान्त, तत्कालीन जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी को, श्री राज्यपाल महोदय तालिका के विवरण के

-4-

अनुसार, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदावनत करते हैंः-

क्रमांक	नाम/वर्तमान पदनाम	पदावनत पद	पदावनत पद का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3	4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. श्री रविकान्त,

सहायक निदेशक-

सह-समादेष्टा जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी वेतन बैण्ड-2

रू 9,300-34,800 एवं ग्रेड वेतन

रू. 4,800/-

(1) श्री रविकान्त को पदावनत पद अर्थात जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी का वेतनमान अनुमन्य होगा। श्री रविकान्त का मूल वेतन, उनसे आसन्न वरिष्ठ जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अर्थात श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर निर्धारित किया जाएगा। ?

(2) पदावनति के ठीक पूर्व के माह में, श्री रविकान्त को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए उनके पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियाँ तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अंतर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में उन्हें अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी श्री रविकान्त के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि हो रही है।

(3) श्री रविकान्त की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियाँ तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक कि उनसे आसन्न वरिष्ठ जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की परिलब्धियां उनके बराबर अथवा उनसे अधिक न हो जायें। श्री रविकान्त पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाएं प्राप्त करेंगे।

-5-

-5-

5- श्री रविकान्त को प्राप्त हो रही परिलब्धियाँ (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर उन्हें वरिष्ठता क्रम में कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

श्री राज्यपाल की ओर से,

डा0 अनिता भटनागर जैन,

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1419(1) /पचास-यु0क0-2015-33(विविध) / 2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

3. महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल / विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0,लखनऊ, को उनके पत्रांक 556/एक-123/प्राविद / 2003, दिनांक 26 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में, एक अतिरिक्त प्रति सहित, इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति श्री रविकान्त पर तामील कराते हुए तथा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें,

4. सम्बन्धित कोषाधिकारी,

5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा महानिदेशक,

6. कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,

7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

ह0/-

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।